कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्याः 25150 / सात लाई०–48 / आबकारी नीति–2025 / देहरादूनः दिनांकः मार्च, 19 2025

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2025–26, 2026–27 व 2027–28 (त्रिवर्षीय आबकारी नीति) जो कि उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्याः 176 / XXIII-1 / 2025–04 (01) / 2025 देहरादून दिनांकः 05, मार्च, 2025 के अनुक्रम में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2025–26 हेतु एफ०एल०–2 / सी०एल०–2 / एफ०एल०–2(O) के अनुज्ञापन हेतु आवेदन से सम्बन्धित कार्यक्रम निम्नवत् निर्धारित किया जाता हैः–

क्र०सं०	विवरण	दिनांक
1.	एफ०एल०–2 / सी०एल०–2 अनुज्ञापन हेतु कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून में आवेदन पत्र जमा किए जाने की तिथि	22.03.2025
2.	एफ०एल०–2 / सी०एल०–2 अनुज्ञापन हेतु आवेदन की अंतिम तिथि	24.03.2025
3.	एफ०एल०–2 (ओ) अनुज्ञापन हेतु आवेदन किए जाने की तिथि	24.03.2025
4.	एफ०एल०–2 / सी०एल०–2 / एफ०एल०–2 (ओ) अनुज्ञापन की स्वीकृति	25.03.2025
5.	एफ०एल०–2 / सी०एल०–2 अनुज्ञापन जारी किए जाने की अंतिम तिथि	27.03.2025

नोटः– प्रदेश आबकारी राजस्व हित में एफ०एल०–2 / सी०एल०–2 / एफ०एल०–2(O) के अनुज्ञापन हेतु आवेदन से सम्बन्धित समयसारिणी में आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड द्वारा यथा आवश्यक परिवर्तन किया जा सकेगा, जिसकी सूचना विभाग की वेबसाइट www.uttrakhandexcise.org.in से प्राप्त जा सकती है। इसके अतिरिक्त इस हेतु पृथक से सामान्य निर्देश निर्गत किये जा रहे है, जो कि विभाग की वेबसाइट www.uttrakhandexcise.org.in पर उपलब्ध है।

(हरिचन्द सेमवाल)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

संख्याः 25151-55 / सात लाई०–48 / आबकारी नीति–2025 / देहरादूनः तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, आबकारी उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. समस्त अपर / संयुक्त / उप आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिला आबकारी अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नवीनीकरण के पश्चात अव्यवस्थापित मदिरा दुकानों की सूची वार्षिक राजस्व सहित एवं अन्य औपचारिकताओं के ब्यौरे सहित आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2025–26, 2026–27 व 2027–28 के अनुरूप दैनिक समाचार पत्र में प्रचार प्रसार हेतु जनपदवार व्यवस्थापन हेतु समयसारणी के अनुसार प्रकाशित की जायेगी।
5. हिन्दी दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला, हिंदुस्तान, उत्तर उजाला व अंग्रेजी दैनिक द पायनियर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उत्तराखंड प्रादेशिक संस्करण में दिनांक 20.03.2025 को न्यूनतम स्थान में प्रकाशित करते हुए भुगतान हेतु बिल कार्यालय आबकारी आयुक्त उत्तराखंड, देहरादून को प्रेषित करने का कष्ट करें।

(हरिचन्द सेमवाल)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

Scanned with CamScanner